

18/5/26

वकील बादी / उभयपक्ष उप०। वकील बादी ने ~~पत्र~~
~~पत्र~~ ~~प्रेस~~ कर बाद को बिज्ञा / ~~नेट~~ ~~प्रेस~~ में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो। ~~पार्थी~~ ~~नए~~ ~~दिने~~ ~~के~~ ~~जो~~ ~~पत्र~~

पक्ष कले हेतु स्वतन्त्र रहेगे।

५